

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2014—कार्तिक 8, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-40-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2657-8077-चौदह-(1), दिनांक 9 मई 1968 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति इटारसी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पंचायत रैसलपुर (पवारखेड़ा) तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 5.083 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	396/3/में से	0.095
2	398/1	1.887
3	398/2	1.887
4	396/7	1.214
		योग . 5.083

जिसकी सीमाएं

उत्तर में.—नेशनल हाईवे, 69  
दक्षिण में.—कृषि भूमि  
पूर्व में.—नेशनल हाईवे, 69  
पश्चिम में.—रेल्वे लाईन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-40-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> October 2014

No. D-15-40-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Itarsi has been established by this department's Notification No. 2657-8077-XIV(1), dated 9th May 1968, shall be sub-market yard namely:—

PLACE

An area of 5.083 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Gram Panchyat Raisalpur (Pawarkheda) in Tehsil Itarsi of District Hosangabad.

S.No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	Into 396/3	0.095
2	398/1	1.887
3	398/2	1.887
4	396/7	1.214
Total —		5.083

BOUNDED BY

On the North by— N.H. 69  
On the South by— Agriculture Land  
On the East by— N.H. 69  
On the West by— Railway Line.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-40-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 मई 1968 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति इटारसी जिला होशंगाबाद के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत रैसलपुर (पवारखेड़ा) तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) रैसलपुर, (2) पवारखेड़ा, (3) ब्यावरा, (4) निटाया, (5) चन्द्रपुरा, (6) साकेत, (7) रिघोड़ा, (8) सोनासांवरी, (9) धौखेड़ा, (10) देशमोहनी, (11) उन्द्राखेड़ी, (12) बम्हनगांव, (13) पांजरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-40-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> October 2014

No. D-15-40-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number, dated 9th May 1968 the following area of Itarsi of district Hosangabad shall be sub-market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Raisalpur (Pawarkheda) in Tehsil Itarsi of District Hosangabad.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 kilometers from the sub-market yard namely:—

- (1) Raisalpur, (2) Pawarkheda, (3) Beora, (4) Nitaya, (5) Chandrapura, (6) Saket, (7) Righoda, (8) Sonasavari, (9) Dhoukheda, (10) Deshmohni, (11) Undrakhedi, (12) Bamhangown, (13) Panjara.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy